औद्योगिक क्षेत्र के भूखंडों में स्टाम्प शुल्क माफ

अगर नीलामी कोर्ट या वित्तीय संस्थान या जिला प्रशासन करता है तो मिलेगी यह सुविधा

कानपुर। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के 167 औद्योगिक क्षेत्रों में खाली पड़े भूखंडों की नीलामी कोर्ट या वित्तीय संस्थान या जिला प्रशासन करता है तो उसका उद्यमियों को कोई स्टाम्प शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यूपीसीडा प्रबंधन ने इसे पूरी तरह से माफ कर दिया है। केवल नामांतरण कराने के लिए शुल्क की नई दरों के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा।

यूपीसीडा सीईओ मयूर माहेश्वरी ने नए आदेश जारी करते हुए बताया कि अगर खरीदार रिक्त भूखंड नीलामी में लेता है तो वर्तमान प्रीमियम दर का 15 फीसदी नामांतरण शुल्क देना पड़ेगा। अगर पहले दो साल तक भूखंड में कोई यूनिट चली है तो उसमें तीव्र गति के क्षेत्रों में प्रीमियम दर का 5 फीसदी व सुस्त क्षेत्रों में 2.5 फीसदी शुल्क देना होगा। अगर कोई यूनिट चालू है तो 5 फीसदी से 7.5 फीसदी का नामांतरण शुल्क देना होगा। उद्यमी को कोई पूरक, लीज डीड या संशोधन डीडी निष्पादन भी नहीं कराना होगा और देय हस्तांतरण लेवी भी शून्य रहेगा। संवाद